बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सा०नि० / स्था०17–04 / 2017 / पटना, दिनांकः–

कार्यालय आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, नवादा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–964(नि०को०) / रा० दिनांक–12.10.2017 के साथ संलग्न समाहर्त्ता, नवादा के पत्रांक–1842 / रा० दिनांक–13.09.2017 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के का०आ०सं०–248 सहपठित ज्ञापांक–1316 दिनांक–19.07.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत श्री जितेन्द्र कुमार सिंह पर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 के प्रावधान के तहत प्रपत्र 5 में अंचल कार्यालय के संधारित पंजी कॉलम 10 एवं 11 खाली पाये जाने, दिनांक–16.12.2015 को कार्यालय में लोक सेवाओं के अधिकार, 2011 (आर०टी०पी०एस०) के तहत कुल प्राप्त 68 आवेदन पत्र का अभिलेख जाँच तिथि तक नहीं खोले जाने, आर०टी०पी०एस० अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में शुद्धि पत्र वितरण पंजी का संधारण नहीं किये जाने, जाँच टीम द्वारा 20 दाखिल खारिज वादों से निष्पादित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 17 वादों को क्रेता–बिक्रेता एवं जमाबंदीदार को नोटिस निर्गत किये बिना अस्वीकृत कर दिये जाने, श्री शिव शंकर प्रसाद, पिता स्व० राम चन्द्र पंडित, पता–शिव नगर आई०टी०आई० गोनावाँ, नवादा से प्राप्त परिवाद पत्र को जिला पदाधिकारी के पत्राांक–697 / गो० दिनांक–18.03.2017 द्वारा अतिक्रमण वाद सं०05 / 16–17 के आलोक में अविलंब कार्रवाई करते हुए कृत कारवाई संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई परन्तु कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहने तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर द्वारा दिनांक–06.12.2016 को अंचल कार्यालय, नवादा सदर का निरीक्षण में निर्गत पंजी, बन्दोबस्ती पंजी विधिवत् संधारित नहीं पाये जाने, अभियान बसेरा के तहत कुल 55 मामले लंबित रहने, आदेश के वाबजूद अंचल अधिकारी, नवादा द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने, वर्ष 2015–16 में अंचल नजारत से निर्गत लगान रसीद बही राजस्व कर्मचारी द्वारा कितना भौलुम विभिन्न रैयतो को निर्गत किया और कितना वर्ष 2016–17 में पुर्नजीवित किया गया, इसका उल्लेख अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहने, अमीन मापी पंजी का निरीक्षण करने पर पंजी का सत्यापन अंचल अधिकारी, नवादा द्वारा नहीं किये जाने, मापी हेतु प्राप्त आवेदन का निष्पादन क्रमवार न करके जैसे तैसे किये जाने, अतिक्रमण पंजी के मामले के निष्पादन के संबंध में स्थिति स्पष्ट अंकित नहीं किये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी के ज्ञापांक–3345 / गो० दिनांक–31.12.2016 के द्वारा अंचल अधिकारी,

नवादा सदर से निरीक्षण से संबंधी स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने संबंधी आरोप गठित किये गये हैं।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–प्रभारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), नवादा के पत्रांक–2024/रा० दिनांक–30.08.2024 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने समर्पित संचालन प्रतिवेदन में निम्न निष्कर्ष दिया है :–

"I. (i) अपर समाहर्त्ता नवादा के पत्रांक–208/रा० दिनांक–17.02.2016 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन, जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा, अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं अपर समाहर्त्ता, नवादा द्वारा संयुक्त रूप से नवादा सदर अंचल के जाँच के क्रम में प्रेषित है, से स्पष्ट है कि निरीक्षण के दौरान पंजी संधारित नहीं पाया जाना कार्य में अनियमितता प्रदर्शित करता है। अतएव आरोप प्रमाणित होता हे।

(ii) अपर समाहर्त्ता, नवादा के पत्रांक–208/रा० दिनांक–17.02.2016 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन, जो भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा, अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा एवं अपर समाहर्त्ता, नवादा द्वारा संयुक्त रूप से नवादा सदर अंचल के जाँच के क्रम में प्रेषित है, से स्पष्ट है कि एक ही श्रेणी में सभी आवेदन पत्रों को रखा जाना नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। यह सरकारी अधिकारी के कार्य के प्रतिकूल एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। अतएव प्रस्तुत आरोप प्रमाणित होता है।

(iii) अपर समाहर्त्ता, नवादा के पत्रांक–208/रा० दिनांक–17.02.2016 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा आर०टी०पी०एस० अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र में शुद्धि पत्र वितरण पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। पंजी का संधारण नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वाद की अद्यतन स्थिति क्या है? उक्त संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी मानवीय भूल संबंधी दलील स्वीकार्य नहीं है। अतएव प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

(iv) अपर समाहर्त्ता, नवादा के पत्रांक–208/रा० दिनांक–17.02.2016 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा 17 वादों को बिना क्रेता–विक्रेता एवं जमाबन्दीदार को नोटिस निर्गत किये बिना अस्वीकृत कर दिया गया है। यह बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 एवं आर०टी०पी०एस० अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन है एवं आरोपी पदाधिकारी के लापरवाही को परिलक्षित करता है। अतएव प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

II. जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–697/गो० दिनांक–18.03.2017 द्वारा अतिक्रमण वाद सं०–05/16–17 के संबंध में कृत कार्रवाई के प्रतिवेदन की मांग आरोपी पदाधिकारी से की गयी थी, परन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजा जाना उनके सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही को दर्शाता है। अतएव प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

III. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा सदर के पत्रांक–977 दिनांक–17.12.2016 द्वारा दिनांक–06.12.2016 को अंचल कार्यालय, नवादा कार्यालय के निरीक्षण संबंधी प्रेषित प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बन्दोबस्ती पंजी, अभियान बसेरा कार्य, अमीन मापी पंजी, लगान रसीद प्राप्ति पंजी इत्यादि का विधिवत संधारण नहीं

किया जाना आरोपी पदाधिकारी के कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। अतएव प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है।

अतएव आरोपित पदाधिकारी पर गठित आरोप पत्र, आरोप पत्र पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, उक्त स्पष्टीकरण पर प्रतिवेदित पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा द्वारा उपस्थापित मंतव्य प्रतिवेदन एवं सुनवाई के क्रम में उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के सम्यक् समीक्षोपरांत अधोहस्ताक्षरी का यह मंतव्य है कि आरोपी पदाधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नवादा सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी पर प्रतिवेदित सभी आरोप प्रमाणित होते हैं।''

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री जितेन्द्र कुमार सिंह से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

"I. (i) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के संधारित पंजी के प्रपत्र–5 के कॉलम–10 एवं 11 बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के अंतर्गत संबंधित लिपिक द्वारा पूर्ण किया जाता था, जो निरीक्षण के समय प्रक्रियाधीन था। जिन्हें संबंधित लिपिक द्वारा पूर्ण कराते हुए दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 का पालन कराया गया। इसमें उनकी कोई लापरवाही नहीं है।

(ii) दिनांक–16.12.2015 को कार्यालय के लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों को संबंधित लिपिक द्वारा संधारित किया जा रहा था, जो जाँच के समय प्रक्रियाधीन था। इस संबंध में भी उनकी कोई लापरवाही सिद्ध नहीं होती है। जहाँ तक दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के लिए समय सीमा देने का प्रश्न है, इस संबंध में कहना है कि दाखिल खारिज हेतु प्राप्त आवेदन/कागजातों के अवलोकन एवं प्रकृति के अनुसार त्रुटि के निराकरण हेतु आवेदक को समय सीमा दी जाती थी। इसमें उनकी मंशा दाखिल–खारिज को नियमानुकूल तरीके से निष्पादन करना था, न कि किसी को परेशान करना। इस प्रकार उनपर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iii) शुद्धि पत्र वितरण पंजी का संधारण नियमतः संबंधित लिपिक द्वारा किया जाता था तथा आर०टी०पी०एस० काउन्टर से आवेदकों को शुद्धि पत्र वितरण किया जाता था। निरीक्षण के क्रम में निरीक्षी पदाधिकारी के समक्ष प्रभारी लिपिक द्वारा शुद्धि पत्र वितरण पंजी उपस्थापित नहीं किया जाना उनकी गलती मानी जा सकती है। इस प्रकार उनपर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(iv) नियमानुसार संबंधित लिपिक द्वारा नोटिस पंजी संधारित किया जाता था। संबंधित लिपिक द्वारा सभी संबंधित पक्षों को नोटिस तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ लगाया जाता था। कार्यालय कर्मियों की कमी एवं संबंधित कर्मी पर कार्यभार अधिक होने के कारण निरीक्षण के समय तामिला पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं किया जा सका था जिसे बाद में संबंधित लिपिक द्वारा अभिलेख के साथ तामिला पत्र संलग्न करा दिया गया। इस प्रकार उनपर यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

II. श्री शिवशंकर प्रसाद, पिता–स्व० रामचन्द्र पंडित, सा०–आई०टी०आई० गोनावॉ के परिवाद के तहत जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–697/गो०,

दिनांक–18.03.2017 के आलोक में कहना है कि प्राप्त पत्र के आलोक में कार्यवाही आरम्भ करते हुए राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण वाद सं०–05/16–17 के अंतर्गत बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के तहत अभिलेख प्रारंभ कर दी गयी थी, जो उनके कार्यकाल तक प्रक्रियाधीन था। जिस कारण जिलाधिकारी, नवादा को अतिक्रमण वाद समाप्त होने का प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका था। इस प्रकार जिलाधिकारी, नवादा के प्रासंगिक पत्र के आलोक में उनके द्वारा अतिक्रमण वाद आरम्भ कर दिया गया था, जो प्रक्रियाधीन था। इससे यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है कि वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना की गयी या सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है।

III. अंचल कार्यालय, नवादा में निर्गत पंजी/बंदोबस्ती पंजी संधारित था एवं पंजियों का संधारण नियमानुसार किया जाता था। इस कार्यालय में लिपिकों की भारी कमी होने के कारण विभिन्न दायित्वों का भार कुछएक ही कर्मी पर था जिसके कारण पंजियों के संधारण में कभी–कभी विलंब हो जाना स्वाभाविक था। यह परिस्थितिजन्य कठिनाई थी। साथ ही साथ यह भी कहना है कि हल्का सं० 7 में 25, हल्का सं० 5 में 10, हल्का सं० 4 में 10 और हल्का सं० 2 में 10 राजस्व कर्मचारियों को सप्ताहिक बैठक में अभियान बसेरा के तहत दिया जाने वाला ऑकड़ा था। अभियान बसेरा के तहत भूमि चिन्हित कर राजस्व कर्मचारी/अमीन द्वारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देश दिया गया था जो प्रक्रियाधीन था।

वर्ष 2015–16 में अंचल नजारत में लगान रसीद वही राजस्व कर्मचारी द्वारा प्राप्ति किये जाने हेतु कैशबुक के तर्ज पर पंजी संधारित होती रही है। उनके कार्यकाल में राजस्व कर्मचारियों को लगान रसीद उपलब्ध करा दिया गया था, साथ ही उनके रहते हुए लगान रसीद को पुनर्जीवित कर दिया गया था। लिपिकों की कमी के कारण नाजिर के जिम्मे अंचल का अन्य कार्य संपादन करना होता था। जिसके कारण पंजियों का संधारण में कुछ विलंब हो जाता था। अतः यह आरोप कि उनके द्वारा कर्तव्यहीनता बरती गई है, निराधार है।

उक्त पद पर रहकर एक जिम्मेदार पदाधिकारी के रूप में अपनी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए प्रयास किया कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का संपादन कर पद के सभी दायित्वों को ससमय पूर्ण किया जाय। कार्यालय कर्मियों के भारी कमी रहने के बावजूद कार्यालय दायित्वों का निर्वहन तथा ससमय निष्पादन का प्रयास करता रहा।''

5. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित अपने अभ्यावेदन में किया गया है।

6. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं उसपर श्री सिंह द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षा से उनके विरूद्ध कोई वित्तीय अनियमितता का मामला परिलक्षित नहीं होता है।

अतः संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, नवादा सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(I) के तहत **निंदन** की शास्ति इस शर्त पर अधिरोपित किया जाता है कि भविष्य में संविदा पर इनके सरकारी सेवा में नियोजन पर रोक रहेगा।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रणजीत कुमार)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–04/2017- 2061 /पटना, दिनांकः– 30/12/24

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, नवादा को उनके पत्रांक–1842/रा० दिनांक–13.09.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. उप निदेशक (सांख्यिकी), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नवादा/पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, नवादा संप्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

27/12/24

संयुक्त निदेशक(प्रशासन)